१

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS

वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88, 53 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्याः- 291/2019

भादर राम पुत्र श्री हेतराम जाति जाट निवासी डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़

-ःवादी

बनाम

1 जोतराम पुत्र श्री मनफूल जाति जाट निवीस वारेका तहसील फाजिल्का पंजाब

2 मोहन लाल पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी वारेका तहसील फाजिल्का

3 कुलदीप पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी वारेका तहसील फाजिल्का

4 लक्ष्मी नारायण पुत्र मनफूल जाति जाट निवीस वरेका तहसील फाजिल्का

5 जगदीश कुमार पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी वारेका तहसील फाजिल्का

6 शिवक कुमार पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी वारेका तहसील फाजिल्का

7 विधा देवी पत्नी रामप्रताप जाति जाट निर्वीस डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़

8 भूप सिंह पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी 13 जेआरके ढाणी डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़ (फौत)

8/1 विजय कुमार पुत्र भूप सिंह जाति जाट निवासी चक 12 जेआरके डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़

8/2 रोहताश पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी चक 12 जेआरके डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़

9 रणवीर सिंह पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी 12 जेआरके आबादी डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़

10 रिपूदमन पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी 12 जेआरके आबादी डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़

11 संजय कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी 13 जेआरके ढाणी डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़

12 चन्द्रभान पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी 13 जेआरके ढाणी डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़

13 गोरीशंकर उर्फ सुभाष पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी 13 जेआरके ढाणी डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़

14 सुशीला पत्नी रायसाहब पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी 13 जेआरके ढाणी डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़

15 पूजा (नाबालिंग) पुत्री रायसाहब जरिये कुदरतवली माता सुशीला पत्नी रायसाहब पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी डबलीबास तहसील व जिला हनुमानगढ़

16 साक्षी (नाबालिंग) पुत्री रायसाहब जरिये कुदरतवली माता सुशीला पत्नी रायसाहब पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी डबलीबास तहसील व जिला हनुमानगढ़

17 नेहा (नाबालिंग) पुत्री रायसाहब जरिये कुदरतवली माता सुशीला पत्नी रायसाहब पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी डबलीबास तहसील व जिला हनुमानगढ़

18 वर्षा (नाबालिंग) पुत्री रायसाहब जरिये कुदरतवली माता सुशीला पत्नी रायसाहब पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी डबलीबास तहसील व जिला हनुमानगढ़

19 रघुवीर उर्फ रूघा राम पुत्र बद्रीराम जाति जाट निवासी पुराने पंचायत घर के पास वार्ड 09 डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़

20 सुरेन्द्र पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़

10

21 ख्यालीराम पुत्र बद्रीराम जाति जाट निवासी डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़
22 संदीप कुमार रूघाराम उर्फ रघुवीर जाति जाट निवासी डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़
23 मनोज कुमार पुत्र रूघाराम उर्फ रघुवीर जाति जाट निवासी डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़
24 मुखराम पुत्र श्री सहीराम जाति जाट निवासी डबलीबास पेमा तहसील व जिला
25 कृष्णलाल पुत्र श्री मुखराम जाति जाट निवासी डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़
26 मदनलाल पुत्र श्री मुखराम जाति जाट निवासी डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़
27 नंदराम पुत्र तारूराम जाति जाट निवासी डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़

27/1 रणजीत पुत्र नंदराम जाति जाट (रणवां) निवासी चक 12 जेआरके डबलीबास पेमा (फौत) तहसील व जिला हनुमानगढ़

27/2 बलराम पुत्र नंदराम जाति जाट (रणवां) निवासी चक 12 जेआरके डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़

28 सुलताना राम पुत्र केसरा राम जाति जाट निवासी डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़
29 पालाराम पुत्र पतराम जाति जाट निवासी 12 जेआरके आबादी डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़
30 सुनील कुमार पुत्र श्योपतराम जाति जाट निवासी 13 जेआरके ढाणी डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़
31 सुभाष चन्द्र पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़
32 राजेन्द्र कुमार पुत्र मोहन लाल जाति जाट निवासी वार्ड 09 डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़
33 गुरूबाज सिंह पुत्र केहर सिंह जाति जटसिख निवासी धानका वाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़
34 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़
35 एसबीआई बैंक शाखा डबली राठान तहसील व जिला हनुमानगढ़
36 ओबीसी बैंक शाखा गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
37 ओबीसी कृषि उपज मंडी बैंक शाखा हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़

-ःप्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री कुणाल गौड़ - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 7, 8/1 ता 18, 20, 22, 23, 28
2. श्री देवीलाल भांभू - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 24, 25, 26, 30
3. श्री राजेश छिम्पा - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 32
4. एक पक्षीय कार्यवाही - प्रतिवादी सं. 19, 21, 27/1, 27/2, 29, 31, 33, 35, 36, 37
5. राज पैरोकार - प्रतिवादी सं. 34

-ः<u>निर्णय</u>ः-

दिनांक ....

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि यह है कि वादी व प्रतिवादी का रजिस्टर्ड डाक का सही पता वादपत्र से शीर्षक में अंकितानुसार है। यह कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 33 के शामल से चक 13 जेआरके में कुल तादादी 15.686 हैक्टेयर खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाता में दर्ज है तफसील आराजी निम्न प्रकार है- खाता सं. 19/51 चक 13 जेआरके प.न. 70/247 मु.न. 19 कि.न. 22 ता 25 तादादी 1.012 हैक्टेयर प.न. 71/247 मु.न 20 कि.न. 21 ता 25 तादादी 1.265 मय गैर मुमकिन खाला। प.न. 74/248 मु.न. 24

प.न. 73/248 मु.न. 25 कि.न. 11 कुल तादादी .253 अनकमाण्ड, 7, 8 नहरी 13 ता 18, 23
प.न. 72/248 मु.न. 26 कि.न. 24, 25 अनकमाण्ड, 9 ता 16 कुल तादादी 2.024 हैक्टेयर, 9
ता 12 कमाण्ड व 13 ता 16 अनकमाण्ड प.न. 71/248 मु.न. 27 कि.न. 7 ता 14 व 17 ता
24 कमाण्ड प.न. 70/248 मु.न. 28 कि.न. 3 ता 8, 13 ता 17, 24, 25 कुल 4.0480
हैक्टैयर। प.न. 70/249 मु.न. ....कि.न. 34 5 कुल ता 253 मय गै.मु. रास्ता कमाण्ड प.न.
71/249 मु.न. 35 कि.न. 1, 2 मय गै.मु. रास्ता कुल तादादी 5.060 हैक्टेयर। प.न. 63/62 प.
न. 70/248 मु.न.28 कि.न. 2 तादादी .253 हैक्टेयर कमाण्ड।
इस प्रकार कुल तादादी 15.686 हैक्टेयर कमाण्ड व अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खाला रास्ता दर्ज
कृषि भुमि राजस्व रिकार्ड है। जमाबंदी नकल सलंग्न वादपत्र है।

यह है कि वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित समस्त भूमि में से वादी के हक हिस्सा की कुल भूमि 1.096 है0 का कब्जा वादी के पास है और वादी अपने कब्जा काश्त में अर्सा दराज से कृषि करता आ रहा है चूंकि उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 27 के नाम संयुक्त खाता दर्ज है।

यह है कि वादी के कब्जा काश्त की कृषि भूमि 1.096 हैक्टेयर है जो निम्न प्रकार है- खाता सं. 19/51 चक 13 जेआरके प.न. 70/248 मु.न. 28 कि.न. 3 ता 5 मय गै.मु. रास्ता प. न. 71/248 मु.न. 20 कि.न. 21 में सें 7 बिस्वा नहरी खाता सं. 63/62 13 जेआरके प.न. 70/248 मु.न. 28 कि.न. 2/.084 में से 2/.253 सालम इस प्रकार कुल 1.096 हैक्टेयर भूमि के कब्जा काश्त में है।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित भूमि में वादी का कब्जा काश्त है अर्सा दराज से उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है परंतु प्रतिवादीगण से बंट-सींव को लेकर अक्सर विवाद रहता है इसलिए वादी अपने कब्जा काश्त की भूमि का खाता अलग-अलग कायम करवाकर अपने नाम से अलग राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

यह कि वादी अपने कब्जा काश्त की भूमि पर बरोक-टोक काश्त करता आ रहा है परंतु प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त के हक हिस्सा को मानने से इंकार कर वादी के कब्जा काश्त पर नाजायज दंखलदांजी कर वादी को हैरान-परेशान कर रहे है जिस कारण वादी के हितो पर ढुकाराघात हो रहा है वादी के कब्जा काश्त की भूमि पर नजायज रूप से दखलनदाजी न दें।

यह कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 33 को कई दफा कहा कि वादपत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित भूमि जो वादी की हक हिस्से की है जो संयुक्त खाता में दर्ज है को कब्जा काश्त अनुसार घोषणा करवा कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा ले व खाता व पानी की बारी की पर्ची अलग कायम करवा लेवें पहले तो वह टालमटोल करते रहे आखिर में एक सप्ताह पूर्व को मुकाम हनुमानगढ़ में कतई तौर पर इन्कार हो गये यही बियान मुखास्मात दावा है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 34 के विरूद्ध वाद में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया वाद घोषणा के साथ खाता विभाजन का होने के कारण बतौर भू-धारक वाद में पक्षकार बनाया गया है। व प्रतिवादी संख्या 35, 36, 37 के भूमि रहन होने के कारण वाद में पक्षकार बनाया गया है। ताकि वाद में किसी प्रकार की खामी न रहे।

यह कि वादपत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जो पूर्ण न्यायशुल्क पर पेश है। लिहाजा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री आदेश फरमावे जावे।

(क) कि घोषित किया जावे कि वादी का वादपत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित भूमि वादी के नाम से खाता अलग कर रकमराज अलग कायम किया जावे। आदि आदि कथन कर वाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट उपरांत दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। वादी को बार बार आवाज लगाई गई हाजिर नहीं आने के कारण वाद वादी खारिज किया गया। प्रतिवादी सं. 24 ता 26, 30 की ओर से अधिवक्ता देवीलाल भांभू ने

जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश किया। प्रतिवादी सं. 1 ता 7, 8/1 ता 18, 20, 22, 23, 28 की ओर से अधिवक्ता श्री कुणाल गौड़, व प्रतिवादी सं. 32 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश छिम्पा उपस्थित। प्रतिवादी सं. 19, 21, 27/1, 27/2, 29, 31, 33, 35, 36, 37 तलबी उपरांत हाजिर नहीं आने के कारण इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद पत्र में किसी प्रकार का विरोध नही होने के कारण तनकीयात कायम नही की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभय पक्ष अपने कब्जा काश्त के समर्थन मे कोई साक्ष्य पेश नही कर पाए। इसलिए वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। न्यायालय के मत में कोई भी पक्ष अपना कब्जा साबित करने में सफल नहीं हुआ है, अतः वाद पत्र आंशिक स्वीकार कर वादग्रस्त खाता के सभी सहखातेदारों की उपस्थिति में तहसीलदार हनुमानगढ से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-ःक्रियात्मक आदेशः-

अतः वाद वादी एवं प्रतिदावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है किः- चक 13 जेआके खाता सं. 19/51 पुराना व 77/51 नया में दर्ज तादादी 15.433 हैक्टेयर आराजी में दर्ज खातेदारो/सहखातेदारों की उपस्थिति में विधि सम्मत पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर समस्त सह-काश्तकारों के हिस्सानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में अच्छी-मन्दी, खाला, रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर, आगामी तारीख पेशी 22.08.2025 तक भिजवाने हेतु तहसीलदार हनुमानगढ को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार हनुमानगढ को अलग से तहरीर जारी हो। प्राथमिक पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ